


क्रम-संख्या 152 (ग-9)

रजिस्टर्ड नं० एल० डब्ल्यू/एन०पी० 561

लाइसेन्स नं० डब्ल्यू० पी०-४१

(लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेंट)



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

प्रयागराज, बृहस्पतिवार, 21 जुलाई, 2022 ई०

(आषाढ़ 30, 1944 शक संवत)

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा विभाग

[ऊर्जा (निर्माण) प्रकोष्ठ]

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ

अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/सेक्रेटरी/विनियमावली/2022-262

21 जुलाई, 2022 ई०

अधिसूचना

यूपीईआरसी (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) विनियमावली, 2022

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं धारा 42 की उपधारा (5) से (8) के साथ पठित और इस संबंध में समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है, अर्थात्:-

१-संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और व्याख्या-

- 1.1 यह विनियमावली उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम) विनियमावली, 2022" कहलायेगी।
- 1.2 यह विनियमावली पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होगी एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त फ्रेंचाइजी पर लागू होगी जो राज्य में विद्युत वितरण और आपूर्ति के कारोबार में लगे हुए हैं।
- 1.3 यह विनियमावली राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
- 1.4 इस विनियमावली को लागू कानूनी ढांचे के साथ पढ़ा जाएगा।
- 1.5 इस विनियमावली के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच विरोध के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

2-परिभाषाएं-

2.1 इस विनियमावली में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) “अधिनियम” का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 से है,
- (ख) “आवेदक” का अर्थ किसी भी परिसर के स्वामी या अधिभोगी से है जो विद्युत की आपूर्ति/संयोजन (अस्थायी और स्थायी दोनों), स्वीकृत भार या अनुबंधित मांग में वृद्धि या कमी, शीर्षक या उत्परिवर्तन में परिवर्तन नाम, उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन, विच्छेदन, आपूर्ति की बहाली, समझौते की समाप्ति, कनेक्शन या मीटरिंग को स्थानांतरित करना, बिलिंग या संग्रह से संबंधित मुद्रे या कोई अन्य सेवा जैसा भी मामला हो, के लिए, अधिनियम, नियमों और विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के साथ एक आवेदन-पत्र दाखिल करता है।
- (ग) “आवेदन” का अर्थ है उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त प्रारूप में दस्तावेजों और अन्य अनुपालनों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण एक आवेदन पत्र,
- (घ) “लागू कानूनी ढांचा” का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान जो कि विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के साथ पढ़े जाते हैं,
- (ड) “बिलिंग चक्र या बिलिंग अवधि” का अर्थ आयोग द्वारा निर्दिष्ट उस अवधि से है जिसके लिए वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए नियमित विद्युत बिल जारी किए जाते हैं,
- (च) “फोरम के अध्यक्ष” का अर्थ है फोरम का प्रमुख जो इन विनियमावली में निर्दिष्ट अनुज्ञाप्तिधारी का एक अधिकारी है।
- (छ) “आयोग” का अर्थ है उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग,
- (ज) “शिकायतकर्ता” का अर्थ है –
 - [1] एक आवेदक/उपभोक्ता या एक से अधिक उपभोक्ता जिन्हें शिकायत है या ऐसे उपभोक्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधि जो इस विनियमावली में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं या,
 - [2] कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पंजीकृत कोई भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ जो इस विनियमावली में शिकायत दर्ज करवा रहे हैं।
- (झ) “शिकायत” का अर्थ है विद्युत आपूर्ति संहिता या आयोग द्वारा अधिसूचित प्रदर्शन के मानक विनियमावली या बिलिंग से संबंधित मुद्रों सहित निर्दिष्ट प्रावधानों के गैर-अनुपालन एवं टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूल करने को समिलित करते हुए के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा लिखित या डिजिटल मोड द्वारा की गई कोई शिकायत।
- (ज) “उपभोक्ता” का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 या किसी अन्य कानून के तहत किसी वितरण अनुज्ञाप्तिधारी या सरकार या जनता को विद्युत की आपूर्ति के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति की जाती है और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर विद्युत प्राप्त करने के उद्देश्य से वितरण अनुज्ञाप्तिधारी, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के कार्यों से जुड़ा हुआ है,
- (ट) “दिन” का अर्थ है कार्य दिवस,
- (ठ) “कमी” का अर्थ है आयोग द्वारा निर्दिष्ट आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन के मानक विनियमावली के प्रावधानों के संबंध में गुणवत्ता या सेवा के मानक की मात्रा, प्रकृति और प्रदर्शन के तरीके में कोई गलती, अपूर्णता, कमी या अपर्याप्तता,
- (ड) “डिस्कनेक्शन” का अर्थ है वितरण अनुज्ञाप्तिधारी की वितरण प्रणाली से उपभोक्ता का भौतिक अलगाव या रिमोट डिस्कनेक्शन,
- (ढ) “वितरण अनुज्ञाप्तिधारी” का अर्थ है आपूर्ति के अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को संचालित करने और बनाए रखने के लिए अधिकृत अनुज्ञाप्तिधारी और इन

विनियमावली के उद्देश्य के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियुक्त वितरण फ्रैंचाइजी शामिल है, लेकिन सिंगल पॉइंट कनेक्शन वाली बहुमंजिला इमारतों के रूप में डीम्ड वितरण लाइसेंसधारक को छोड़कर।

- (ण) "विद्युत आपूर्ति संहिता" का अर्थ है आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विद्युत आपूर्ति संहिता,
- (त) "विद्युत लोकपाल" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के उप-धारा (6) के तहत आयोग द्वारा नियुक्त या नामित एक प्राधिकरण,
- (थ) "फोरम" का अर्थ है 'उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम', जिसका गठन विद्युत अधिनियम 2003, की धारा 42(5) एवं विद्युत (उपभोक्ताओं का अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार किया गया है,
- (द) "व्यथा" का अभिप्राय विनिर्दिष्ट या करार की गयी विद्युत सेवा जैसा की प्रदाय संहिता और प्रदर्शन के मानक विनियमावली में प्रदान करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की असफलता से है, जो परिवाद को उत्पन्न करे।
- (न) "प्वाइंट ऑफ सप्लाई" उ0प्र०० विद्युत प्रदाय संहित, 2005 में जैसा निर्दिष्ट है,
- (प) "प्रोज्युमर" का अर्थ है एक व्यक्ति जो ग्रिड से विद्युत का उपभोग करता है और आपूर्ति के समान बिंदु का उपयोग करते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए ग्रिड में विद्युत भी डाल सकता है।
- (फ) "प्रतिनिधित्व" का अर्थ है फोरम के निर्णय के खिलाफ किया गया प्रतिनिधित्व जो कि मूल अधिकार क्षेत्र में किया गया है जैसा कि विनियमावली 3.13 में उल्लिखित है अर्थात् 'शिकायतों के लिए फोरमों का पदानुक्रम'
- (ब) "विद्युत का अनाधिकृत उपयोग" का वही अर्थ है जो कि अधिनियम की धारा 126 के तहत किया गया है।

2.2. शब्दों और पदों का, जो इस विनियम में प्रयुक्त है और परिभाशित नहीं है बल्कि लागू विधिक संरचना या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अथवा विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो क्रमशः उक्त अधिनियम में उन्हें निर्दिष्ट किया गया है।

2.3. इन विनियमावली की व्याख्या में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) एकवचन या बहुवचन शब्द, जैसा भी मामला हो, में भी क्रमशः बहुवचन या एकवचन शब्द शामिल माना जाएगा,
- (ख) किसी भी कानून, विनियमावली या दिशा-निर्देशों के संदर्भों का अर्थ ऐसे कानूनों, विनियमावली या दिशा-निर्देशों को समेकित, संशोधित या प्रतिस्थापित करने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों को शामिल करना होगा, जैसा भी मामला हो,
- (ग) इन विनियमों के अंग्रेजी और हिन्दी संस्करण के बीच अन्तर के मामले में अंग्रेजी संस्करण अभिभावी होगा।

3—उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम का गठन—

3.1 वितरण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमावली की अधिसूचना की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर इन विनियमावली के साथ पठित विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम 2020 के अनुसार विभिन्न स्तरों पर परिचालित फोरम स्थापित कर सकता है। इन विनियमावली के तहत स्थापित फोरम उन उपभोक्ताओं/शिकायतकर्ताओं की शिकायतों पर विचार करेंगे, जिन्हें संबंधित फोरम के क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति की जाती है या आपूर्ति की जाती है।

प्रतिबंध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक फ्रैंचाइजी के पास आयोग के अनुमोदन के बाद उप-मंडल से अंचल स्तर तक अपने मूल अधिकार क्षेत्र में विवादों को संभालने के लिए संचालन के क्षेत्र में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम होगा। इसके लिए ऐसी वितरण फ्रैंचाइजी अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष प्रस्तावित संरचना प्रस्तुत करेगी। ऐसे उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के प्रतिनिधित्व का अधिकार क्षेत्र लोकपाल/कंपनी स्तर के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के पास होगा, जिसकी यह फ्रैंचाइजी है। फ्रैंचाइजी से संबंधित मामलों के लिए

कंपनी स्तर के उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में विनियमावली 3.2 में दिए गए फोरम के सदस्यों के अतिरिक्त फ्रैंचाइजी के सीईओ या उनके नामिती विशेष सदस्य होंगे।

प्रतिबंध यह है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी (राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम के अलावा) के पास आयोग के अनुमोदन के बाद कंपनी स्तर पर उप-प्रभाग के बराबर स्तर पर विवादों को संभालने के लिए संचालन के क्षेत्र में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम होंगे। इसके लिए, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष एक प्रस्तावित संरचना प्रस्तुत करेगा। इन विनियमावली के तहत नए फोरमों की स्थापना पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और फोरम के अध्यक्ष कम से कम एक अंग्रेजी और एक हिंदी समाचार पत्र में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी और नए फोरमों के नोटिस बोर्ड पर, इन विनियमावली के तहत विशेष नए फोरम की स्थापना के साथ निम्नलिखित जानकारी के साथ प्रचार के माध्यम से सूचित करेगा:

- (क) नए फोरम का नाम, जिस तारीख से इसने कार्य करना शुरू किया है और उप-खण्ड/खण्ड/मंडल/अंचल/कंपनी का नाम जिसके लिए यह कार्य कर रहा है।
- (ख) फोरम का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल के साथ।
- (ग) विनियमावली 3.13 में निर्दिष्ट फोरम का अधिकार क्षेत्र।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त सूचना अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के टैब के तहत अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर संचालित सभी उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के लिए उपरोक्त तीन विवरण भी प्रकाशित की जाएगी एवं निम्नलिखित के बारे में विवरण भी प्रदान किया जाएगा:

- (क) फोरम के कार्य और
- (ख) फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

3.2 विभिन्न स्तरों पर फोरमों का श्रेणीवार गठन—

	अध्यक्ष	दो मनोनीत सदस्य (उपभोक्ता)	एक मनोनीत सदस्य (प्रोज्युमर)	एक स्वतंत्र सदस्य
सामान्य	उपयुक्त ज्येष्ठता का अनुज्ञप्तिधारी का अधिकारी जो कि उसके द्वारा नामित किया जायेगा।	फोरम के क्षेत्र के उपभोक्ताओं में से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामित दो मनोनीत सदस्य	फोरम के क्षेत्र के प्रोज्युमर से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नामित एक मनोनीत सदस्य	आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला एक स्वतंत्र सदस्य
ग्रामीण उपखण्ड	उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड प्रभारी)	तदैव	तदैव	तदैव
नगरीय उपखण्ड	उपखण्ड के उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड प्रभारी)	तदैव	तदैव	तदैव
खण्ड	खण्ड का अधिशासी अभियंता (खण्ड प्रभारी)	तदैव	तदैव	तदैव
मंडल	मंडल का अधीक्षण अभियंता (मंडलप्रभारी)	तदैव	तदैव	तदैव
अंचल	अंचल का मुख्य अभियंता (अंचल प्रभारी)	तदैव	तदैव	तदैव
कंपनी	वितरण कंपनी के अध्यक्ष द्वारा नामित वितरण कंपनी का निदेशक।	तदैव	तदैव	तदैव

3.3 नामित सदस्यों की योग्यता-

	प्रथम नामित सदस्य (उपभोक्ता)	दूसरा नामित सदस्य (उपभोक्ता)	एक नामित सदस्य (प्रोज्युमर)	आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला एक स्वतंत्र सदस्य
ग्रामीण उपखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> उपखण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जिसने कम से कम हाई स्कूल पास किया हो। उपखण्ड का ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 2 किलोवाट से कम न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> उपखण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जिसने कम से कम हाई स्कूल पास किया हो। उपखण्ड का ग्रामीण कृषि उपभोक्ता होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 2 किलोवाट से कम न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> उपखण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जिसने कम से कम हाई स्कूल पास किया हो। उपखण्ड का प्रोज्युमर होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 2 किलोवाट से कम न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> उपखण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता होगा जो कम से कम स्नातक हो। वह व्यक्ति होगा जो पांच साल की प्रेक्टिस के साथ वकील हो। अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। उपभोक्ता मामलों से परिचित होना चाहिए।
शहरी उपखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> उपखण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जिसने कम से कम हाई स्कूल पास किया हो। उपखण्ड का घरेलू उपभोक्ता होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 2 किलोवाट से कम न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> उपखण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जिसने कम से कम हाई स्कूल पास किया हो। उपखण्ड का घरेलू उपभोक्ता होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 5 किलोवाट से कम न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> उपखण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जिसने कम से कम हाई स्कूल पास किया हो। व्यक्ति जिसका अनुबंधित लोड 2 किलोवाट से कम न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	तदैव

	प्रथम नामित सदस्य (उपभोक्ता)	दूसरा नामित सदस्य (उपभोक्ता)	एक नामित सदस्य (प्रोज्युमर)	आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला एक स्वतंत्र सदस्य
खण्ड	<ul style="list-style-type: none"> खण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। खण्ड का घरेलू उपभोक्ता होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 5 किलोवाट तक हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> खण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। खण्ड का वाणिज्यिक अथवा लघु एवं मध्यम औद्योगिक श्रेणी का उपभोक्ता होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 5 किलोवाट तक हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> खण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। व्यक्ति जिसका अनुबंधित लोड 5 किलोवाट तक हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और उस पर विद्युत का कोई बकाया नहीं है। उपभोक्ता मामलों से परिचित होना चाहिए। 	<ul style="list-style-type: none"> खण्ड क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। वह व्यक्ति होगा जो दस साल की प्रेविट्स के साथ वकील हो। मौजूदा श्रेणी के तहत लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और उस पर विद्युत का कोई बकाया नहीं है। उपभोक्ता मामलों से परिचित होना चाहिए।
मंडल	<ul style="list-style-type: none"> मंडलक्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। घरेलू उपभोक्ता होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> मंडलक्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। वाणिज्यिक / औद्योगिक श्रेणी का उपभोक्ता होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 50 किलोवाट से कम अथवा बराबर हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> मंडलक्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। व्यक्ति जिसका अनुबंधित लोड 10 किलोवाट से कम न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> मंडलक्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो सिविल सेवा में हो अथवा रहा हो जो कि एडीएम के पद से नीचे न हो। मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो।

	प्रथम नामित सदस्य (उपभोक्ता)	दूसरा नामित सदस्य (उपभोक्ता)	एक नामित सदस्य (प्रोज्युमर)	आयोग द्वारा नामित किया जाने वाला एक स्वतंत्र सदस्य
अंचल	<ul style="list-style-type: none"> • अंचल क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • घरेलू संयोजन होना चाहिए जिसका अनुबंधित लोड 10 किलोवाट से कम न हो। • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> • अंचल क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • एचवी 1/एचवी 2 श्रेणी का संयोजनधारी उपभोक्ता होना चाहिए • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> • अंचल क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • कम से कम 20 किलोवाट के अनुबंधित लोड वाला व्यक्ति होना चाहिए • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> • अंचल क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो सिविल सेवा में हो अथवा रहा हो जो कि एडीएम के पद से नीचे न हो। • उपभोक्ता मामलों से परिचित होना चाहिए। • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो।
कंपनी	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • कम से कम 10 किलोवाट लोड का घरेलू कनेक्शन होना चाहिए • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • एचवी 1/एचवी 2 श्रेणी का संयोजनधारी उपभोक्ता होना चाहिए • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी क्षेत्र का उपभोक्ता जो कम से कम स्नातक हो। • कम से कम 20 किलोवाट अनुबंधित लोड वाला व्यक्ति होना चाहिए • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो। 	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी के क्षेत्र का उपभोक्ता होना चाहिए। • एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो सिविल सेवा में हो अथवा रहा हो जो कि एडीएम के पद से नीचे न हो। • सदस्य जिसने न्यूनतम आयु 45 वर्ष प्राप्त कर ली हो। • मौजूदा श्रेणी के तहत पिछले 3 वर्षों से लगातार उपभोक्ता रहा हो, अच्छा पूर्ववृत्त होना चाहिए और जिस पर विद्युत का कोई बकाया न हो।

3.4 संक्रमणकालीन प्रावधानों—

- (क) यूपीईआरसी (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 के तहत बनाए गए फोरमों को इस विनियमावली में “मौजूदा फोरम” कहा जाएगा, जबकि, इस विनियमावली के तहत बनाए गए फोरमों को “नया फोरम” कहा जाएगा,
- (ख) नए फोरमों के गठन के बाद, मौजूदा फोरम का अधिकार क्षेत्र इस तरह के फोरम के क्षेत्र के आधार पर नए बनाए गए फोरमों के मूल क्षेत्राधिकार को बाहर करने के लिए कम हो जाएगा और इस तरह के नए फोरम

द्वारा अपने मूल अधिकार क्षेत्र के तहत शिकायतों का निवारण किया जाएगा। जैसा कि इन विनियमावली के विनियम 3.13 के अंतर्गत तालिका में उल्लिखित है। मौजूदा फोरम के सचिव नए फोरमों के निर्माण के एक महीने के भीतर, उपभोक्ता की शिकायत क्षेत्र के अनुसार, नए फोरमों को रिकॉर्ड स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। मौजूदा फोरमों के अभिलेख वादों की एक विस्तृत सूची के साथ संबंधित पक्षों को वादों के स्थानांतरण नोटिस देते हुए स्थानांतरित किए जाएंगे।

- (ग) बिंदु 3.5 (ख) में दिए गए स्तरों पर किसी भी नए फोरम के निर्माण के तुरंत बाद, वितरण अनुज्ञाप्तिधारी, सात दिनों के भीतर, मौजूदा फोरम के सचिव को नए फोरमों के निर्माण के बारे में सूचित करेगा, जो कि अधिकार क्षेत्र के भीतर आते हैं। मौजूदा फोरम नए फोरमों के निर्माण की जानकारी प्राप्त करने के बाद, मौजूदा फोरम के सचिव बिंदु 3.5(ख) में दिए गए अभिलेखों को स्थानांतरित करेंगे।

3.5 मनोनीत सदस्यों का चयन—

- (क) वितरण अनुज्ञाप्तिधारी फोरम के सभी नामित सदस्यों (अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा नामित सदस्यों के साथ—साथ आयोग द्वारा नामित किए जाने वाले स्वतंत्र सदस्य) के पदों पर नियुक्ति के लिए समाचार पत्र, वेबसाइट पर विज्ञापन एवं संबंधित फोरम के नोटिस बोर्ड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा। अनुज्ञाप्तिधारी ऐसे विज्ञापन की एक प्रति आयोग को अग्रेषित करेगा।
- (ख) विज्ञापन में एक आवेदन प्रारूप होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, उपभोक्ता खाता संख्या, उपभोक्ता श्रेणी, अनुबंधित लोड, इस श्रेणी में उपभोक्ता होने की अवधि 3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, नवीनतम विद्युत बिल की प्रति जो दर्शाती है कि उसके पास विद्युत का कोई बकाया नहीं है और उसके अच्छे पूर्ववृत्त होने का स्व-प्रमाणन। इसके अलावा, विशेष अदालत द्वारा उसके खिलाफ स्थापित विद्युत चोरी का मामला नहीं होना चाहिए, जैसा कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 154 में दिया गया है।
- (ग) आयोग द्वारा नामित सदस्य के मामले में, उपभोक्ता मामलों में अनुभव को प्रदर्शित करने वाला एक संक्षिप्त विवरण उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाना है।
- (घ) इन विनियमावली के साथ एक सांकेतिक प्रारूप संलग्न किया गया है, यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञाप्तिधारी कुछ पैरामीटर जोड़ सकता है।
- (ड) वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा नामित सदस्यों का चयन विज्ञापन द्वारा प्राप्त आवेदनों संबंधित श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों की पात्रता को पूरा करते हों, किया जायेगा।
- (च) मंडल, जोन और कंपनी स्तर पर फोरमों के लिए आयोग द्वारा नामित स्वतंत्र सदस्यों के मामले में, वितरण लाइसेंसधारक विनियमावली में निर्दिष्ट पात्र आवेदकों के सभी आवेदनों को अग्रेषित करेगा। आयोग द्वारा उपखंड और संभाग स्तर पर फोरमों के लिए नामित किए जाने वाले स्वतंत्र सदस्य के मामले में, अनुज्ञाप्तिधारी तीन सबसे उपयुक्त पात्र आवेदकों के आवेदन आयोग को अग्रेषित करेगा।
- (छ) आयोग अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा अग्रेषित आवेदनों में से सदस्य का चयन करेगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयोग स्तर पर निराकरण किया जाएगा।
- (ज) आयोग स्वतंत्र सदस्य की नियुक्ति को अधिसूचित करेगा।
- (झ) मनोनीत सदस्य के पद पर मृत्यु, त्यागपत्र या निष्कासन के कारण रिक्ति होने की स्थिति में, इन विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार रिक्ति होने के 60 दिनों के भीतर चयन किया जाना चाहिए।
- (ज) नामित सदस्य की मृत्यु, सेवानिवृत्ति या कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्ति के मामले में, वितरण अनुज्ञाप्तिधारी रिक्ति होने की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले चयन की प्रक्रिया शुरू करेगा और इस तरह की सेवानिवृत्ति या समाप्ति से पहले प्रक्रिया को पूरा करेगा।
- (ट) फोरम में किसी नामित सदस्य का पद सेवानिवृत्त अथवा कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्ति होने की स्थिति में, अनुज्ञाप्तिधारी रिक्ति पद के लिए लिंक अधिकारी नियुक्त कर सकता है, जो फोरम की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा। नामित सदस्य के रिक्ति पद के लिए लिंक अधिकारी उसी श्रेणी के विरुद्ध नामित सदस्य होगा।

3.6 फोरम का कोरम—

- (क) कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होगा। हांलाकि, फोरम के अध्यक्ष और आयोग के मनोनीत सदस्य की अनुपस्थिति में कोई कार्यवाही नहीं होगी।

3.7 रिक्तियों आदि, कार्यवाही को अमान्य नहीं करने के लिए—

कोरम पूरा होने पर फोरम का कोई कार्य या कार्यवाही केवल किसी रिक्ति या फोरम के गठन में दोष के अस्तित्व के आधार पर अमान्य नहीं होगी।

3.8. मनोनीत सदस्यों के नियम और शर्तें—

- (क) नामित सदस्य का कार्यकाल फोरम में शामिल होने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। बशर्ते कि ऐसा मनोनीत सदस्य तीन साल की दूसरी अवधि के लिए एक बार फिर से नियुक्ति के लिए एक ही फोरम या फोरमों में, जो फोरमों के पदानुक्रम में लंबवत रूप से ऊपर रखे गए हैं, के लिए पात्र होंगे।
प्रतिबन्ध यह है कि यह भी कि कोई भी मनोनीत सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इस पद पर नहीं रहेगा।
- (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी और आयोग द्वारा नामित सदस्यों को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इन विनियमावली के परिशिष्ट 2 में निर्दिष्ट प्रति बैठक के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। वेतन आयोग द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- (ग) कोई भी मनोनीत सदस्य वितरण अनुज्ञप्तिधारी/आयोग, जैसा भी मामला हो, को लिखित में तीन महीने की पूर्व सूचना देकर अपना पद छोड़ सकता है।

3.9 सदस्य का निष्कासन—

किसी भी नामित सदस्य को वितरण अनुज्ञप्तिधारी/आयोग द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसा सदस्य दिवालिया घोषित किया गया है या कदाचार का दोषी है, या नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है एवं अपने कार्य का निर्वाहन या उसके कार्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले वित्तीय हित प्राप्त करने के लिए पाया गया है।

बशर्ते कि स्वतंत्र नामित सदस्य या फोरम के किसी अन्य नामित सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक अनुज्ञप्तिधारी के एक अधिकारी द्वारा की गई जांच, जो फोरम के अध्यक्ष से कम से कम एक रैंक वरिष्ठ है, अनुज्ञप्तिधारी की संतुष्टि के लिए स्थापित नहीं हो जाती है या आयोग, जैसा भी मामला हो, कि न्याय के हित में फोरम के सदस्य को हटाना आवश्यक हो गया है। बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना हटाया नहीं जा सकता।

बशर्ते कि इस खंड में निहित कुछ भी फोरम के अध्यक्ष पर लागू नहीं होगा, जो उसकी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन होगा।

3.10 फोरम का अधिकार क्षेत्र—

- (क) फोरम किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा, यदि यह विद्युत के अनधिकृत उपयोग के मामले में मूल्यांकन से संबंधित मामलों से संबंधित है, मूल्यांकन के मामले में अपील, विद्युत और विद्युत सामग्री की चोरी, मीटर के साथ हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों और अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों से संबंधित है, लापरवाही से किये जाने पर भी, विद्युत चोरी या विद्युत दुर्घटना से संबंधित मामले में कंपाउंडिंग से संबंधित।
- (ख) फोरम किसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा यदि वह उसी विषय से संबंधित है जिसके लिए किसी सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या किसी अन्य फोरम के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है या किसी सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या किसी अन्य फोरम द्वारा डिक्री, पुरस्कार या अंतिम आदेश पहले ही पारित किया जा चुका है।
- (ग) फोरम उन मामलों में शिकायत पर विचार नहीं कर सकता है जहां शिकायत का कारण बनने की तारीख के तीन साल बाद शिकायत दर्ज की गई है।

प्रतिबंध यह है कि फोरम लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ एक शिकायत पर विचार कर सकता है जो उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि कोई शिकायत तब तक अस्वीकृत नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

3.11 फोरम की कार्यवाही—

- (क) सभी स्तरों पर फोरम के कामकाज के लिए अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा प्रदान किए गए स्थान पर ऐसे समय पर संचालित होंगे, जैसा कि फोरम के अध्यक्ष किसी भी कार्य दिवस पर निर्देशित कर सकते हैं। फोरम अपनी सुनवाई में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो फोरम या अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। फोरम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम 5) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- (ख) सभी स्तरों पर फोरम की एक महीने में कम से कम चार बैठकें होंगी और कोरम पूरा होने पर ही अपनी कार्यवाही का संचालन करेगा। फोरम प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में अपनी वेबसाइट और अपने कार्यालय के डिस्प्ले बोर्ड पर आने वाले महीने के लिए फोरम की बैठक की तारीखों के साथ-साथ ऐसी बैठकों में होने वाले मामलों को प्रदर्शित करेगा। हालांकि, फोरम के अध्यक्ष के निर्देश पर और मामले की तात्कालिकता के आधार पर अतिरिक्त मामलों को अधिसूचित किया जा सकता है।
- (ग) फोरम के समक्ष किसी भी मामले का निर्णय मौजूदा सदस्यों के बहुमत के मतों से होगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। सभी आदेशों पर मामले में उपस्थित फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।
- (घ) फोरम के सभी आदेश अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञाप्तिधारी के विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा इस संबंध में प्रमाणित किए जाएंगे।
- (ङ) शिकायत के साथ नकद या भारतीय पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य साधन के माध्यम से नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट शुल्क के साथ होगा और अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा अपने खातों में उचित रूप से लेखित किया जाएगा: —

उपभोक्ता श्रेणी का प्रकार	शुल्क
कृषि और आवासीय	रु0 25 प्रति किलोवाट (अधिकतम 50 रुपये)
वाणिज्यिक	रु0 100 प्रति किलोवाट (अधिकतम 1000 रुपये)
लघु और मध्यम उद्योग	रु0 75 प्रति किलोवाट (अधिकतम 750 रुपये)
बड़े और भारी उद्योग	रु0 100 प्रति किलोवाट (अधिकतम 1000 रुपये)
अन्य	रु0 50 प्रति किलोवाट (अधिकतम 500 रुपये)

आयोग द्वारा समय-समय पर अपने आदेशों के माध्यम से उपरोक्त तालिका में बदलाव/संशोधन किया जा सकता है।

- (च) कोई भी शिकायत तब तक खारिज नहीं की जाएगी जब तक शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है।
- (छ) प्रत्येक शिकायत पर यथासंभव शीघ्रता से सुनवाई की जाएगी। फोरम शिकायत पर जल्द से जल्द और अधिमानतः 30 दिनों के भीतर लेकिन फोरम द्वारा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर एक स्पष्ट आदेश द्वारा निर्णय करेगा।
- (ज) फोरम ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे, जब तक शिकायत का अंतिम निष्पादन लंबित है।
- (झ) उपभोक्ता को आपूर्ति संहिता में विनिर्दिष्ट नोटिस दिए बिना उसकी आपूर्ति काटी नहीं जाएगी और यदि काट दी जाती है, तो उसे फोरम द्वारा निर्देशित राशि जमा करने पर 24 घंटे के भीतर फिर से जोड़ दिया जाएगा।

3.12. शिकायतों के लिए फोरमों का पदानुक्रम—

(क) मूल क्षेत्राधिकार—उपभोक्ता शिकायत की प्रकृति के आधार पर उप—खण्ड/खण्ड/मंडल/जोनल/कंपनी स्तर के फोरमों पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	फोरम का स्तर	शिकायत की प्रकृति
1.	उप—खण्ड स्तर	<ul style="list-style-type: none"> • आपूर्ति की गुणवत्ता <ul style="list-style-type: none"> ○ विद्युत की आपूर्ति के घंटे ○ आपूर्ति की बहाली ○ विद्युत आपूर्ति में रुकावट/विफलता • सभी एलटी लोड के लिए: नवीन संयोजन / अतिरिक्त भार • बिलों का भुगतान न करने के कारण असंयोजन होने के बाद आपूर्ति का पुनः संयोजन • रुपये 50,000 से कम के बीजक और आकलन से संबंधित विवाद • प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान
2.	खण्ड स्तर	<ul style="list-style-type: none"> • वितरण ट्रांसफार्मर का परिवर्तन • लाइनों/सेवा लाइनों का स्थानांतरण • मीटर से संबंधित सभी शिकायतें सहित <ul style="list-style-type: none"> ○ मीटर रीडिंग ○ जांच रिपोर्ट आने के बाद खराब मीटर को बदलना ○ जले हुए मीटर को बदलना • 1 मेगावाट तक के एचटी भार के लिए: नवीन संयोजन / अतिरिक्त भार • आपूर्ति का स्थायी विच्छेदन (प्रतिभूति निक्षेप की वापसी और अदेयता प्रमाण पत्र जारी करना) • बिलों का भुगतान न करने के अलावा अन्य कारणों से विच्छेदन के बाद आपूर्ति का पुनः संयोजन • रुपये 50,000 से अधिक और रुपये 5 लाख से कम के बिल और आकलन से संबंधित विवाद • प्रतिभूति धनराशि पर ब्याज का भुगतान
3.	मंडल स्तर	<ul style="list-style-type: none"> • अस्थायी विच्छेदन • पावर ट्रांसफार्मर का परिवर्तन • 1 मेगावाट से अधिक एचटी भार के लिए: नवीन संयोजन / अतिरिक्त भार • नेटवर्क के विस्तार/संवर्धन के संबंध में अपेक्षित शिकायतें • रुपये 5 लाख के बराबर और रुपये 15 लाख से कम तक के बिल और आकलन से संबंधित विवाद

क्रम संख्या	फोरम का स्तर	शिकायत की प्रकृति
4.	अंचल स्तर	<ul style="list-style-type: none"> रुपये 15 लाख के बराबर और रुपये 1 करोड़ से कम तक के बिल और आकलन से संबंधित विवाद
5.	कंपनी स्तर	<ul style="list-style-type: none"> प्रदर्शन संबंधी मुद्दों के मानक कॉल सेंटर के कामकाज और प्रदर्शन से संबंधित शिकायतें रुपये 1 करोड़ के बराबर और उससे अधिक के बिल और आकलन से संबंधित विवाद। निचले फोरमों की सभी अपीलें कंपनी स्तर के फोरम के समक्ष की जाएंगी

नोट:—जब तक उपखण्ड और खण्ड स्तर पर फोरमों की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक उप-खण्ड स्तर और खण्ड स्तर पर फोरमों के कार्यों को मंडल स्तर पर फोरम द्वारा लिया जाएगा। जब तक अंचल स्तर पर फोरमों की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक अंचल स्तर पर फोरमों के कार्यों को कंपनी स्तर पर फोरमों द्वारा लिया जाएगा।

(ख) प्रतिनिधित्व के लिए क्षेत्राधिकार—

उपभोक्ता फोरम के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर अभिवेदन कर सकता है या जब फोरम अपने मूल अधिकार क्षेत्र में 45 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत का निवारण करने में विफल रहता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

मूल निर्णय	अभिवेदन के लिए क्षेत्राधिकार
सब-डिवीजनल / डिवीजनल / सर्कल / जोनल लेवल फोरम	कंपनी लेवल फोरम या विद्युत लोकपाल
कंपनी स्तरीय फोरम	विद्युत लोकपाल

(ग) इसके अलावा, यदि मामला कंपनी स्तर के फोरम द्वारा जिसमें 45 दिनों के निर्दिष्ट समय के भीतर अभिवेदन का अधिकार क्षेत्र है तथा नहीं किया गया है, अथवा उपभोक्ता अभिवेदन के लिए कंपनी स्तर के फोरम के निर्णय से व्यक्ति है, तो उपभोक्ता एक अभिवेदन 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल के समक्ष दे सकता है।

3.13. फोरम का निर्णय—

- (क) फोरम के निर्णय लिखित रूप में, कारणों से समर्थित और बहुमत से होंगे।
- (ख) निर्णय या निर्णय देते समय, यदि अध्यक्ष या फोरम का कोई सदस्य असहमत होता है, तो वह कारणों सहित अपनी असहमति का निर्णय देगा। तथापि, फोरम का बहुमत वृष्टिकोण निर्णय में अंतिम होगा।
- (ग) फोरम अपने समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के संदर्भ में किसी भी शिकायत का फैसला कर सकता है और ऐसे मामले में, किसी भी पक्षकार को इस तरह के आदेश के खिलाफ कंपनी स्तर के फोरम या लोकपाल, जैसा भी मामला हो, के समक्ष अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (घ) यदि फोरम मुआवजा देने का फैसला करता है, तो यह समय-समय पर संशोधित यूपीईआरसी (प्रदर्शन के मानक) विनियमावली, 2019 के अनुसार होगा।
- (ङ) फोरम का आदेश शिकायतकर्ता और वितरण अनुज्ञितधारी को लिखित रूप में 7 कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जाएगा और विवाद के पक्ष आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर फोरम के निर्णय का पालन करेंगे।
- (च) कोई भी व्यक्ति 2.00 रुपये प्रति पृष्ठ के भुगतान पर फोरम के आदेशों की प्रति प्राप्त कर सकता है।

3.14. पैसे के भुगतान से संबंधित फोरम का आदेश—

जब तक पार्टीयों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, जहां आदेश पैसे के भुगतान के लिए है—

- (क) वितरण अनुज्ञिप्तिधारी को धन के भुगतान के लिए है, वहां फोरम, धनराशि में जिसके लिए आदेश किया जाता है, तारीख, जिसको वाद हेतु उत्पन्न हुआ था और तारीख, जिसको आदेश किया जाता है, के बीच की अवधि के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए ऐसी दर पर, जैसा कि धन के सम्पूर्ण या किसी भाग को लागू हो, प्रथम तीन माह के लिए 1.25 प्रतिशत की दर से अधिभार शामिल करेगा और तीन माह से अधिक की देरी के लिए 2.0 प्रतिशत की दर से अधिभार शामिल करेगा।
- (ख) शिकायतकर्ता को धन के भुगतान के लिए है, वहां फोरम, धनराशि में जिसके लिए आदेश किया जाता है, तारीख, जिसको वाद हेतु उत्पन्न हुआ था और तारीख, जिसको आदेश किया जाता है, के बीच की अवधि के सम्पूर्ण या किसी भाग के लिए ऐसी दर पर, जैसा कि धन के सम्पूर्ण या किसी भाग को लागू हो, प्रथम तीन माह के लिए 1.25 प्रतिशत की दर से अधिभार शामिल करेगा और तीन माह से अधिक की देरी के लिए 2.0 प्रतिशत की दर से अधिभार शामिल करेगा।

3.15. विविध प्रावधान—

- (क) वितरण अनुज्ञिप्तिधारी फोरम को पर्याप्त सचिवीय सहायता, कार्यालय और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि कुशल संचालन हो सके।
- (ख) उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतों के आसान पंजीकरण की सुविधा के लिए फोरम को अनिवार्य रूप से एक ईमेल पता प्राप्त करना होगा।
- (ग) इन विनियमावलीके तहत फोरमों का गठन, और उनके विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को लाइसेंस की शर्त माना जाएगा और गैर-अनुपालन को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।
- (घ) वितरण अनुज्ञिप्तिधारी फोरम कार्यालय, उसका पूरा पता, संपर्क विवरण और शिकायतों के पंजीकरण की प्रक्रिया का अपने विभिन्न कार्यालयों के नोटिस बोर्ड, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करेगा और इसकी सूचना उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों के माध्यम से भी देगा।
- (ङ) फोरमों के प्रदर्शन की निगरानी आयोग द्वारा की जाएगी। फोरम प्रदर्शन के मानकों, अन्य प्रदर्शन मापदंडों और उपभोक्ता शिकायतों से संबंधित जानकारी के संबंध में आयोग को त्रैमासिक रिपोर्ट भेजेंगे, जिसमें उपभोक्ता शिकायतों के निवारण में समय सारिणी का पालन किया गया है।
- (च) सीजीआरएफ के संचालन के लिए अनुज्ञिप्तिधारी द्वारा किए गए खर्च, जो एकत्रित शुल्क से असमायोजित छूट गये हैं, एआरआर में दावा किया जा सकता है।

4—विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील—

- 4.1. (क) अपने मूल अधिकार क्षेत्र में उप-खण्ड/खण्ड/मंडल/अंचल/कंपनी स्तर के फोरम द्वारा किए गए आदेश से व्यविधि कोई भी उपभोक्ता अगले 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल को अपील कर सकता है।
- (ख) जहां फोरम अपने मूल अधिकार क्षेत्र में 45 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत का निवारण करने में विफल रहा है, उपभोक्ता अगले 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल को अपील कर सकता है।
- (ग) यदि कंपनी स्तरीय फोरम अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार में 45 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर शिकायत का निवारण करने में विफल रहता है, तो उपभोक्ता अगले 30 दिनों के भीतर विद्युत लोकपाल को अपील कर सकता है।
- (घ) 'विद्युत लोकपाल', कारण दर्ज करने के लिए, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद एक अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि उस अवधि के भीतर इसे दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।
- (ङ) अभ्यावेदन उपभोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित में होगा, यथास्थिति, अधिकथित करेगा—
 - (i) उपभोक्ता का नाम और पता,
 - (ii) वितरण अनुज्ञिप्तिधारी का नाम और पता,
 - (iii) फोरम का नाम और पता, जहां मूल शिकायत दर्ज की गई थी।

- (iv) कंपनी स्तरीय फोरम का नाम और पता यदि अपील कंपनी स्तरीय फोरम के आदेश के खिलाफ है, तो उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में स्तरीय फोरम या निर्दिष्ट अवधि के भीतर कंपनी स्तरीय फोरम द्वारा शिकायत का निवारण न करने के कारण
- (v) अभ्यावेदन को उद्भूत करने वाले तथ्य
- (vi) चाहा गया अनुतोष,
- (vii) कोई अन्य सुसंगत तथ्य।

बशर्ते कि यदि फोरम के आदेश को उसके मूल अधिकार क्षेत्र में या उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार में चुनौती देने के लिए अपील दायर की जा रही है तो फोरम के आदेश की एक प्रति भी अपील के साथ संलग्न की जाएगी।

5—फोरम के साथ बैठक—

आयोग जब भी उचित समझे, फोरम के अध्यक्ष और/या सदस्यों के साथ बैठक कर सकता है।

6—विविध—

- 6.1. आयोग समय समय से फोरम को इस विनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा आदेश या अनुदेश या निर्देश जारी करेगा, जिसे वह आवश्यक समझे।
- 6.2. आयोग आदेश द्वारा किसी मामले के लिए प्राविधान कर सकेगा या उसे स्पष्ट कर सकेगा जिस पर कोई प्राविधान इस विनियम में निर्मित नहीं किया जाता या निर्मित किया गया प्राविधान अपर्याप्त है।
- 6.3. फोरम ऐसे अन्य कृत्यों का प्रयोग करेगा, जैसा कि आयोग आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे।
- 6.4. फोरम के सदस्य, विद्युत अधिनियम, 2003 के किसी प्राविधान के अधीन या इस विनियम के किसी प्राविधान के अधीन या उसके अधीन जारी किये गये निर्देश या आदेश के अधीन कार्य करते समय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अनुच्छेद 21 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

7—प्रक्रिया और नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन—

इस विनियम के प्राविधानों के अध्यधीन, फोरम नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्ग निर्देशित किये जायेंगे और उन्हें अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जो इस विनियम से असंगत न हो।

8—बचत—

- (i) इन विनियमावली में निहित कुछ भी इस समय में लागू उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 सहित किसी भी अन्य कानून के तहत उपभोक्ता के अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा।
- (ii) इन विनियमावली में निहित कुछ भी मौजूदा फोरमों द्वारा जारी किए गए आदेशों की वैधता को तब तक प्रभावित नहीं करेगा जब तक कि ये फोरम उस क्षेत्र के लिए अस्तित्व में हों, जो नवीन फोरमों के गठन के साथ धीरे-धीरे अधिकार क्षेत्र के हस्तांतरण के बाद बना रहता है। इसके अतिरिक्त, यूपीईआरसी (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करते समय मौजूदा फोरमों द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश और प्रक्रिया को इन विनियमों के तहत जारी किया गया माना जाएगा।

9—कठिनाई दूर करने की शक्ति—

यदि इन विनियमावली के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग, स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी व्यक्ति, वितरण अनुज्ञाप्तिधारी या उपभोक्ताओं के समूह या संघ द्वारा उसके सामने लाए जाने पर, ऐसे सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकता है, जो विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों से असंगत न हो, जैसा कि यह कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन समझे।

10—संशोधन करने की शक्ति—

आयोग किसी भी समय इस विनियमावली के किसी भी प्रावधान को अधिसूचना द्वारा बदल, परिवर्तन अथवा संसोधित कर सकता है।

11—निरसन—

यूपीईआरसी (उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियमावली, 2007 का हिस्सा जिसमें फोरम के गठन, सदस्यों की योग्यता, शैक्षिक योग्यता और राज्य में सीजीआरएफ के कामकाज से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में प्रावधान शामिल हैं, नियत तारीख से निरस्त हो जाएंगे।

आयोग के आदेशानुसार,
संजय कुमार सिंह,
सचिव।

संलग्नक 1—मनोनीत सदस्यों के आवेदन पत्र का सांकेतिक प्रारूप—

- उम्मीदवार का नाम:
- उम्मीदवार की आयु (65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।):
- पिता का नाम:
- मोबाइल नंबर:
- ईमेल आईडी (यदि उपलब्ध हो):
- पता:
- शैक्षिक योग्यता (जैसा कि विनियमावली 3.4 में प्रदान किया गया है):
- विद्युत कनेक्शन संख्या / खाता संख्या:
- अनुबंधित भार:
- उपभोक्ता श्रेणी:
- जब से उपभोक्ता उपरोक्त श्रेणी में है तब से अवधि (3 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।)
- अच्छे पूर्ववृत्त के बारे में स्व—प्रमाणन (लगभग 50 शब्दों का एक नोट)
- स्व—प्रमाणन कि वह विद्युत का चूककर्ता नहीं है (नवीनतम विद्युत बिल की प्रति संलग्न की जाए और आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रमाणित किया जाए)

स्वतंत्र सदस्यों के मामले में

- उपखण्ड स्तरीय फोरम के लिए—बार में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 5 साल के कानूनी अभ्यास का प्रदर्शन करने वाले अन्य दस्तावेज
- खण्ड स्तरीय फोरम के लिए—बार में पंजीकरण प्रमाण पत्र और 10 साल के कानूनी अभ्यास का प्रदर्शन करने वाले अन्य दस्तावेज
- मंडल / अंचल / कंपनी स्तरीय फोरम के लिए—न्यायिक कार्य के अनुभव को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज और यह भी तथ्य कि वह न्यूनतम एडीएम स्तर का अधिकारी रहा है।

उपखण्ड, खण्ड और अंचल स्तर के फोरमों पर स्थापित फोरमों की आवश्यकताओं को आयोग के आदेश के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

संलग्नक 2: सीजीआरएफ के विभिन्न स्तरों पर प्रति बैठक के आधार पर मनोनीत सदस्यों का पारिश्रमिक

फोरम पारिश्रमिक का स्तर	मनोनीत सदस्य / बैठक
उपखण्ड स्तरीय फोरम	₹0 1,000
खण्ड स्तरीय फोरम	₹0 1,500
मंडल स्तरीय फोरम	₹0 2,000
अंचल स्तरीय फोरम	₹0 4,000
कंपनी स्तरीय फोरम	₹0 5,000